बिहार सरकार
अपर जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय का कार्यालय
जिला सूचना भवन लखीसराय–811311

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

निम्नांकित शर्तें को पूरा काराना वॉछित है।

1. एजेंसी को फ्लैक्स/होर्डिग कार्य करने का विगत वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
2. **G.S.T.** के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए तथा उसका अद्यतन होना चाहिए।
3. तीन वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. एजेंसी को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पटना द्वारा निर्धारित दर के अलावे अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।
5. एजेंसी को अपने स्तर से संस्थापित फ्लैक्स/होर्डिंग का फोटो (आस–पास के जगह) भी रहना चाहिए एवं संबंधित क्षेत्र के **B.D.O.** को प्रमाण पत्र के साथ विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. फ्लैक्स /होर्डिग की गुणवता विशिष्टियों आकार का सत्यापन भवन निर्माण विभाग से होने के पश्चात् ही भुगतान मान्य है। होर्डिंग की सुद्दता का प्रमाण पत्र भवन प्रमंडल लखीसराय से प्राप्ति के उपरान्त ही होर्डिंग संस्थापन शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
7. बिहार राज्य के वैट/ वाणिज्य कर विभाग, सेवाकर, श्रम अनुज्ञप्ति धारक के रूप में निबंधित होना चाहिए एवं निविदा के साथ कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (श्रण विभाग) अथवा एस.एस.आई. (उद्योग विभाग) से निबंधित होना चाहिए।
9. होर्डिग के लिए अलग से ट्रान्सपोटेंशन शुल्क एवं अन्य कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
10. वार्षिक टर्नओवर विगत तीन वर्षों में कम से कम 1000000/– (दस लाख) रूप्ये प्रति वर्ष होना चाहिए।
11. किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्धसकारी संस्थान निगम निकाय समिति द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, एवं किसी भी तरह के केस मुकदमा में लिप्त/लंबित न होने से संबंधित नोट राईज्ड शपथ पत्र/शपथ पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का संलग्न करना होगा।
12. विगत तीन वर्षों का अंकेक्षित बैलेंस सीट एवं संगत वर्षों का आयकर रिटर्न पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं संख्यांकित होने चाहिए।
13. बिना कारण बताये आवेदन को अंशतः या पूर्णतः रद्द /अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी का सुरक्षित होगा।
14. किसी प्रकार के जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को संबंधित अपर जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

15/11/17

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।